राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त *भवन" जनपथ, जयपुर–302015*
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309)

क्रमांक :– एफ.4 (ई)(1)(6)/नि.प. (342/1988)/अलेसे/3006 दिनांक :– 05-03-2019

कार्यालय आदेश

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर के पत्र सं. 82193 दिनांक 03.08.2018 के अनुसार श्री रूप किशोर शर्मा कनि. लेखाकार को कार्यमुक्त कर निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था एवं इनके स्थान पर अन्य कनि. लेखाकार का पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया गया था। श्री रूप किशोर शर्मा, दिनांक 12.09.2018 को निदेशालय में उपस्थित हुए। तत्पश्चात् महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को उनके उक्त पत्र के क्रम में निदेशालय के पत्र सं. 2375 दिनांक 20.09.2018 के अनुसार यह अनुरोध किया गया कि उनके कार्यालय में कनि. लेखाकर का पद रिक्त है, अतः श्री शर्मा को पुनः अपने कार्यालय में ही कार्यग्रहण करावें, लेकिन पदस्थापन विभाग द्वारा श्री रूप किशोर शर्मा कनि. लेखाकार के कार्यग्रहण नहीं करने के कारणों से निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया है।

पुनः श्री रूप किशोर शर्मा द्वारा दिनांक 26.02.2019 को निदेशालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा उन्हें अपने कार्यालय में पुनः कार्यग्रहण नहीं कराया गया हैं। श्री शर्मा द्वारा अजमेर जिले में अन्यत्र पदस्थापन हेतु अनुंरोध किया गया है।

अतः श्री शर्मा के स्वयं के अनुरोध पर उनका पदस्थापन कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर से उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता हैं तथा श्री शर्मा की उक्त प्रकार से अनुपस्थिति अवधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

5.3.19
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4 (ई)()1(6)/नि.प. (342/1988)/अलेसे/3006 दिनांक :– 05-03-2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को प्रेषित कर लेख हैं कि वे श्री रूप कशोर शर्मा कनि. लेखाकार की स्वैच्छा पूर्वक अनुपस्थिति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय अजमेर ।
4. श्री रूप किशोर शर्मा कनि. लेखाकार।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)